



जोधपुर नगर निगम, दक्षिण

पोलीटेक्नीक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर



क्रमांक:-/6655

दिनांक:-5/1/2021
I.B.T.(B) 72 / 2020-21

श्री प्रसन्न पारख पुत्र श्री पारसमल पारख
भूखण्ड सं. ए-एस/10 वाके सेक्टर ए
गुष्मा नगर, पाल रोड, जोधपुर।

::- भवन निर्माण आदेश :-

विषय :- व्यवसायिक/आवासीय भवन निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृति हेतु।
प्रसंग - आपका आवेदन पत्र दिनांक 31.01.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रस्तावित गठित भवन निर्माण अनुमति समिति की बैठक दिनांक 27.08.2020 की प्रस्ताव संख्या 01 के अन्तर्गत अनुमोदित मानचित्र के अनुसार व्यवसायिक/आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है -

- 1 बालकॉनी व छज्जे का निर्माण नहीं करेगे।
- 2 पडोसी की बिल्डिंग लाइन को यथावत रखेगे।
- 3 मानचित्र एवं प्लेट में यदि चतुर्धरी दर्शायी गई है तो उसे खुली रखेगे।
- 4 खालसा भूमि पर किसी प्रकार की तामीर का निर्माण नहीं करेगे।
- 5 स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति शून्य होगी।
- 6 वर्षा जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
- 7 भविष्य में बकाया राशि निकलने पर जमा करवाने को बाध्य रहेंगे।
- 8 भवन में नियमानुसार अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी।
- 9 दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृति शून्य मानी जायेगी।

- 10 भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।
- 11 निर्माण स्थल पर 4'x4' के बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण सात्वानी पूर्ण करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

- 12 भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा अथवा बिल्डिंग मटेरियल सड़क पर नहीं डाला जावेगा। यदि किसी भी प्रकार का मलबा/बिल्डिंग मटेरियल भू-स्वामी द्वारा सड़क पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत चुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।

- 13 भवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व साईट पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा शौचालय की संख्या प्रति 10 श्रमिक पर एक शौचालय निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में लगे मजदूर उसका प्रयोग कर सकें। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।

- 14 यह आदेश गमनीय उच्च न्यायालय में निर्णित वाद गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयाधीन रहेगा तथा वर्तमान-भविष्य में मास्टर प्लान के अनुरूप नियमों/उपनियमों को मानने के लिये सर्वेय बाध्य रहेंगे।

यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

आवेदन शुल्क- 670/- जांच शुल्क- 2,000/- कुल राशि- 2,670/- जरिये रसीद संख्या 9089 / 637 दिनांक 03.02.2020, भवन निर्माण शुल्क- 2,000/- मलबा शुल्क - 1,000/- बीएसयूपी शुल्क- 1,952/- विकास एवं संधारण शुल्क- 4,333/- भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क- 2,509/- उपकर- 9,836/- कुल राशि- 21,630/- जरिये रसीद संख्या 9069/5801 दिनांक 21.12.2020, सुरक्षा एवं अमानत शुल्क- 2,000/- जरिये रसीद संख्या 9069/5802 दिनांक 21.12.2020 एवं गृह कर- 556/- जरिये रसीद संख्या 9069/5803 दिनांक 21.12.2020 को निगम कोष में जमा करा दिव्य गये है साथ ही आपको आदेशित किया जाता है कि दी गई स्वीकृति के विपरित निर्माण कार्य करने पर आपको दिरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/236/245 के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी। भवन निर्माण के पश्चात् मलबा सड़क पर पाया गया तो जुर्माना के रूप में 10,000/- (अक्षरें बस हजार रुपये) वसूल किये जायेगे।

(Signature)

(Signature)

उपायुक्त
नगर निगम जोधपुर, दक्षिण

स्वीकृति का प्रकार	व्यवसायिक / आवासीय निर्माण
अनुमत निर्माण	जी+1
कुल क्षेत्रफल	66.66 वर्गगज